चिकित्सा अभिलेख अनुभाग, ज.प्र.ना.ए.ट्रॉ.कें. की नीति
आम-जनता हेतु

कार्य समय (अनुरोध प्राप्त करने तथा सौंपने सहित):

प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक तथा दोपहर 2.00 बजे से 4.30. बजे तक

1. औपचारिकताएं पूरी करने के बाद डुप्लीकेट डिस्चार्ज समरी, छूटे हुए ओपीडी कार्ड, अन्य अस्पतालों के कागज, कोई अन्य बाहरी जांच रिपोर्ट आदि हेतु अनुरोध-
   न्यूनतम 02 कार्य दिवस।

2. बीमा दावों के अनुरोध (एम्स की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार)
   - संबंधित बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक (दावा) का एक पत्र।
   - निम्नलिखित कागजात सहित नामिती/दावेदार का एक अनुरोध पत्र:-

   (क) डिस्चार्ज समरी /मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी।

   (ख) पॉलिसी नंबर/पॉलिसी बॉन्ड की प्रतिलिपि।

   (ग) कंपनियों की संबंधित प्रश्नावली/प्रपत्र।

   (घ) पत्राचार हेतु बीमा कंपनी का सही एवं पूरा पता।

   (ड) नकद/चेक/डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा 50/- रूपए का शुल्क ज.प्र.ना.ए.ट्रॉ.कें. के कैश काउंटर पर जमा किया जाए।

   (च) आवेदन/आवेदनों को केवल बीमा कंपनी से साधारण डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा संबंधित बीमा कंपनी को उचित जवाब स्पीट पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।

   अनुरोध प्राप्त करने की तिथि से न्यूतम तीन सप्ताह का समय

3. **अभिलेख सत्यापन हेतु अनुरोध** (अर्थात् किसी एजेंसी द्वारा उपचार अभिलेख, चिकित्सा प्रमाणपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र आदि)

4. **मृत्यु/डिस्चार्ज अभिलेखों में नाम में संशोधन संबंधी।**

   (क)कानूनीं उत्तराधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट से विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया निर्धारित प्रारूप के अनुसार गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर 10/- रूपए का शपथपत्र।

   (ख)रोगी/मृतक का एक पहचान पत्र/आधार कार्ड

   (ग)कानूनी उत्तराधिकारी/निकटतम संबंधी का पहचान पत्र

   (घ)मृत्यु पर्ची की मूल प्रति दिखाएं तथा मृत्यु पर्ची की प्रतिलिपि संलग्न करें।

   (ड)रिकार्ड में जो संशोधन किया जाना है, उसे अद्यतन करने संबंधी दस्तावेज-

   एक सप्ताह

5. नई दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) को **ऑनलाइन मृत्यु पंजीकरण का प्रेषण-**
   मृत्यु के 48 घंटों के भीतर।

6. चिकित्सा अभिलेख अनुभाग, ज.प्र.ना.ए.ट्रॉ.कें. से नई दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) को **अस्पताल मृत्यु अभिलेख दस्तावेजों की हार्डकॉपी का प्रेषण - (15 कार्य दिवसों के भीतर)**

   (कृपया नोट करें: एनडीएमसी-दिल्ली मृत्यु/जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, कृपया सीधे एनडीएमसी की वेबसाइट (ndmc.gov.in) पर जाएं।)

7. उपचार करने वाले विभाग द्वारा फाइल किए जाने तथा प्रभारी-संकाय, चिकित्सा अभिलेख अनुभाग, ज.प्र.ना.ए.ट्रॉ.कें. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने के बाद संबंधित बीमा कंपनी को दिए गए पत्राचार पते पर **संपूर्ण बीमा दावे का प्रेषण- 2 दिनों के भीतर**।

8. **48 घंटों के भीतर एफआरआरओ को ऑनलाइन सूचना (विदेशी रोगी/रोगियों के विषय में) तथा अनुभाग को प्राप्त होते ही सूचना की हार्ड कॉपी प्रेषित की जाती है।**